# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

**प्रिया बनाम धन्नालाल**

| तारीख हुक्म | 146/2015 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 20/04/2026 | पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक/लिखित बहस हेतु दिनांक 05/05/2026 को पेश हो। | |
| 05/05/2026 | पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पूर्व में सुनी जा चूकी है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 07/05/2026 को पेश हो। | |
| 07/05/2026 | आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप . तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09/10/2014 पारित करते हुये तहसीलदार को राजीनामा व राजीनामा के सलग्न नक्शे अनुसार आराजी खसरा नम्बर 902/1, 902/2, 902/3, 902/4, 902/5, 902/6, 902/7, 902/8, 902/9, 937 वाके ग्राम मोहब्बतपुरा तह. फागी का सलग्न नजरी नक्शे अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैया किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्याथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09/10/2014 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी।<br><br>अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपे य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि विवादग्रस्त भूमि अपीलार्थीगण की पुश्तैनी आराजी है, जिसमे उनके जन्म से ही हित व अधिकार निहित होने का अंकन कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार प्रकरण बनने हेतु आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है एवं यह अपील धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाना उचित स..झा जाता है। अत: प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीगण को ईजाजत अपील प्रदान की जाती है एवं चूँकि अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही रहे है ऐसेमें अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी सद्भावी देरी स्पष्ट होती है। अत: | |

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | 146/2015 **प्रिया बनाम धन्नालाल**<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण का विवादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में हक़ अधिकार होना जाहिर है तो उन्हें पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को भी निरस्त कर अपीलार्थीगण को पक्षकार प्रकरण बनाकर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुन: विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09. 0/2014 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थीगण को पक्षकार प्रकरण बनांते हुये उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/05/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।